न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

प्रकरण संख्याः 13/2023

धर्मपाल बनाम रामलाल

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अर्न्तगत

निर्णय दिनांकः-13.12.2023

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि धर्मपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनड़ी के खसरा नम्बर 786/3 में प्रार्थी की भूमि है जिसमे आवागमन हेतु प्रार्थी 786/2 जो कि रामलाल के नाम दर्ज है से आवागमन करता है एवम् वर्तमान में रामलाल द्वारा उक्त रास्ते को बंद कर दिया गया हैं जिससे खेत में आवागमन नही हो रहा है तथा भारी परेशानी हो रही है उक्त सदामत से चालु रास्ता खुलवाने का निवेदन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जा कर पटवारी हल्का से रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट प्राप्त कि गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर खसरा संख्या 786/2 मे से होकर खसरा संख्या 786/3 में आने-जाने हेतु मौके पर रास्ता चलन में नही है एवं उपस्थित मौतबिरान द्वारा बतलाया गया कि खसरा संख्या 786/2 के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण की ओर सदामत रास्ता होना बताया। अप्रार्थी रामलाल को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस स्वंय से तामील होकर प्राप्त हुआ है रामलाल की तरफ से जरिए वकिल जवाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी धर्मपाल सक्षम न्यायालय में बार-बार गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है सायल द्वारा नया रास्ता खुलवाने बाबत सिविल न्यायालय में वाद संख्या 83/2023 पेश किया जो कि खारीज हो चुका है अब धर्मपाल खड़ी फसल व खेत के बीच में रास्ता खुलवाना चाहता है जो कि कभी चालु नही था। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 07.12.2023 एवम् अप्रार्थी रामलाल द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोन उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुचा हू कि खसरा संख्या 786/2 के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण की ओर खसरा संख्या 786/3 में पहुचने हेतु सदामत रास्ते जो वर्तमान में बंद है को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत खुलवाया जाना उचित है। पटवारी हल्का सोनड़ी एवम् भू.अभिलेख निरीक्षक नोहर को आदेश जारी हो कि वह किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि ना हो तो प्रश्नगत सदामत के रास्ते को खुलवावे अगर मौका पर फसल काश्त हो तो उसे ध्वस्त करवाकर खुलवाया जावे। पुलिस सहायता कि आवश्यकता हो तो थानाधिकारी पुलिस थाना नोहर से सहयोग प्राप्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह रतनू R.T.S.)
तहसीलदार राजस्व
नोहर

olc

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर

क्रमांक/रीडर/ईजराय/2023/ 895-896 दिनांक 13.12.2023

1. भू अभिलेख निरीक्षक नोहर
2. पटवारी हल्का सोनड़ी

प्रकरण संख्या 13/2023 अनवान धर्मपाल बनाम रामलाल के निर्णय की प्रति भेजकर लेख है कि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश/विवाद नहीं तो निर्णयानुसार पालना की जाकर रिपोर्ट सात दिवस में पेश करें।

तहसीलदार (ईजराय)
नोहर